पत्रांक–बि0प्र0सु0मि0सो0/विविध–02/2015 सो0–141/DSC दिनांक:–31 जुलाई 2015

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

अपर मिशन निदेशक,
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक:– 31 जुलाई 2015

विषय:– **संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों से एकरारनामा कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों यथा आई0टी0 प्रबंधक, आई0टी0 सहायक एवं कार्यपालक सहायक से संबंधित एकरारनामा की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि संबंधित कर्मियों से एकरारनामा कराते हुए मिशन कार्यालय को संसूचित करने की कृपा की जाए।

इसमें मिशन निदेशक का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0:– यथोक्त

विश्वासभाजन

Adesh Titarmare
Digitally signed by Adesh Titarmare
DN: c=IN, o=Personal, postalCode=800014, st=Bihar, cn=Adesh Titarmare
Date: 2015.07.31 16:47:19 +05'30'

अपर मिशन निदेशक

नोट:– यह पत्र Digitally signed **है, जिसके सत्यापन हेतु** Adobe Reader XI **या उससे नवीनतम** version installed **होना चाहिये।**

E/randheer/amd/Office E-26

परिशिष्ट–1

संविदा के आधार पर नियोजन हेतु एकरारनामा

यह एकरारनामा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार सरकार, पटना एवं चयनित/नियोजित होने वाले श्री/सुश्री/श्रीमती........................ के बीच निम्नलिखित शर्तो के साथ की जा रही है:-

1. यह नियोजन केवल **सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधक** के पद के लिए किया जाएगा।
2. यह नियोजन संविदा के आधार पर नियोजन की तिथि से केवल एक वर्ष के लिए किया जायेगा लेकिन विशेष परिस्थिति में इसकी अवधि अगले एक वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी । संविदा की तिथि दिनांक................... से दिनांक....................... तक होगी।
3. संविदा के आधार पर नियोजित श्री/सुश्री/श्रीमती .... को दिनांक–............ तक एवं दिनांक–............ से .... प्रतिमाह एकमुश्त राशि पारिश्रमिक के रूप में देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि या भत्ता देय नहीं होगा ।
4. इस तरह के नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगी ।
5. इस आधार पर भविष्य में नियमित नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा ।
6. संविदा पर नियोजित व्यक्ति की सेवा सामान्यतया स्थानान्तरणीय नहीं होगी ।
7. नियोजन के पूर्व नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
8. इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि एकमुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी।
9. संविदा पर नियोजन के पश्चात दोनो पक्षों को एकरारनामा की उपरोक्त शर्ते मान्य होगी । नियोजित व्यक्ति उपरोक्त एकरारनामा के किसी भी शर्त का उल्लंघन करेंगे तो एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा ।

हस्ताक्षरः–

नामः–

पदनामः– सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधक

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, बिहार, पटना । **(नियोजित व्यक्ति)**

परिशिष्ट–1

संविदा के आधार पर नियोजन हेतु एकरारनामा

यह एकरारनामा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार सरकार, पटना एवं चयनित/नियोजित होने वाले श्री/सुश्री/श्रीमती........................ के बीच निम्नलिखित शर्तो के साथ की जा रही है:-

1. यह नियोजन केवल **सूचना प्रौद्योगिकी सहायक** के पद के लिए किया जाएगा।
2. यह नियोजन संविदा के आधार पर नियोजन की तिथि से केवल एक वर्ष के लिए किया जायेगा लेकिन विशेष परिस्थिति में इसकी अवधि अगले एक वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी । संविदा की तिथि दिनांक.................... से दिनांक....................... तक होगी।
3. संविदा के आधार पर नियोजित श्री/सुश्री/श्रीमती .... को दिनांक–............ तक एवं दिनांक–........... से .... प्रतिमाह एकमुश्त राशि पारिश्रमिक के रूप में देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि या भत्ता देय नहीं होगा ।
4. इस तरह के नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगी ।
5. इस आधार पर भविष्य में नियमित नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा ।
6. संविदा पर नियोजित व्यक्ति की सेवा सामान्यतया स्थानान्तरणीय नहीं होगी ।
7. नियोजन के पूर्व नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
8. इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि एकमुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी।
9. संविदा पर नियोजन के पश्चात दोनो पक्षों को एकरारनामा की उपरोक्त शर्तें मान्य होगी । नियोजित व्यक्ति उपरोक्त एकरारनामा के किसी भी शर्त का उल्लंघन करेंगे तो एकरारनामा स्वत: समाप्त समझा जायेगा ।

हस्ताक्षर:-

नाम:-

पदनाम:- सूचना प्रौद्योगिकी सहायक

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, बिहार, पटना । **(नियोजित व्यक्ति)**

परिशिष्ट–1

संविदा के आधार पर नियोजन हेतु एकरारनामा

यह एकरारनामा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार सरकार, पटना एवं चयनित/नियोजित होने वाले श्री/सुश्री/श्रीमती....................... के बीच निम्नलिखित शर्तो के साथ की जा रही है:-

1. यह नियोजन केवल **कार्यपालक सहायक** के पद के लिए किया जाएगा।
2. यह नियोजन संविदा के आधार पर नियोजन की तिथि से केवल एक वर्ष के लिए किया जायेगा लेकिन विशेष परिस्थिति में इसकी अवधि अगले एक वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी । संविदा की तिथि दिनांक.................. से दिनांक...................... तक होगी।
3. संविदा के आधार पर नियोजित श्री/सुश्री/श्रीमती .... को दिनांक–............ तक एवं दिनांक–........... से .... प्रतिमाह एकमुश्त राशि पारिश्रमिक के रूप में देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि या भत्ता देय नहीं होगा ।
4. इस तरह के नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगी ।
5. इस आधार पर भविष्य में नियमित नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा ।
6. संविदा पर नियोजित व्यक्ति की सेवा सामान्यतया स्थानान्तरणीय नहीं होगी ।
7. नियोजन के पूर्व नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
8. इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि एकमुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी।
9. संविदा पर नियोजन के पश्चात दोनो पक्षों को एकरारनामा की उपरोक्त शर्तें मान्य होगी । नियोजित व्यक्ति उपरोक्त एकरारनामा के किसी भी शर्त का उल्लंघन करेंगे तो एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा ।

हस्ताक्षर:-

नाम:-

पदनाम:- कार्यपालक सहायक

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, बिहार, पटना । **(नियोजित व्यक्ति)**